भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4937
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 / 11 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष

†4937. श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के अंतर्गत किए जा सकने वाले आपदा-निवारक और न्यूनीकरण कार्यों के प्रकारों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी परियोजनाओं के चयन के लिए मानदंड क्या हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान एनडीएमएफ के अंतर्गत विशेषकर आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित परियोजनाओं और कार्यों का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान एनडीएमएफ के अंतर्गत विशेषकर आंध्र प्रदेश में आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सामुदायिक लचीलेपन के संदर्भ में एनडीएमएफ द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार आपदा न्यूनीकरण योजनाओं/परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/वैज्ञानिक संस्थानों/निजी क्षेत्र के हितधारकों के साथ सहयोग कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): पंद्रहवें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) के लिए प्रावधान किया था और वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए 13,693 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। केंद्र सरकार ने दिनांक 28.02.2022 को NDMF के गठन और प्रशासन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। दिशानिर्देश एनडीएमएफ के अंतर्गत की जाने वाली शमन परियोजनाओं के लिए मानदंड प्रदान करते हैं। दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, NDMF, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के दिनांक 12.01.2022 के दिशा-निर्देशों में शामिल आपदाओं के लिए

लोक सभा अता. प्र. सं. 4937, दिनांक 01.04.2025

विशिष्टतया शमन परियोजनाओं के उद्देश्य से है। इसके अलावा, हीटवेव और आकाशीय बिजली के लिए शमन उपाय भी NDMF से किए जा सकते हैं। शमन कार्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक दोनों हो सकते हैं। एनडीएमएफ और एनडीआरएफ के ये दिशानिर्देश वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।केंद्र सरकार ने भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल की व्यापक हानि को रोकने के लिए देश में प्रभावी शमन उपाय सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं। एनडीएमएफ के तहत सहायता के लिए निम्नलिखित शमन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है:-

(i) सात (07) शहरों अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में शहरी बाढ़ जोखिम शमन परियोजनाएं, जिनका कुल वित्तीय परिव्यय 3075.65 करोड़ रुपये है। एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा 2482.62 करोड़ रुपये है और जिसमें से अब तक इन शहरों को 709.54 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(ii) चार (04) राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय जीएलओएफ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 150 करोड़ रुपये है। एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा 135 करोड़ रुपये है और जिसमें से अब तक 10.18 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(iii) पंद्रह (15) राज्यों में कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 1000 करोड़ रुपये है। इसमें एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा 900 करोड़ रुपये है । ये 15 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हैं।

(iv) बारह (12) सूखा प्रभावित राज्यों को उत्प्रेरक सहायता, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 2022.16 करोड़ रुपये है, जिसमें से एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा 1200 करोड़ रुपये है। ये 12 राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश हैं ।

(v) दस (10) राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्रियान्वयन के लिए बिजली सुरक्षा पर शमन परियोजना जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 186.78 करोड़ रुपये है। बिजली सुरक्षा के लिए एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा 121.14 करोड़ रुपये है।

(vi) उन्नीस (19) राज्यों के 144 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में क्रियान्वयन के लिए वन अग्नि जोखिम प्रबंधन हेतु शमन योजना जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 818.92 करोड़ रुपये है, जिसके अंतर्गत एनडीएमएफ और एनडीआरएफ से केंद्रीय हिस्सा 690.63 करोड़ रुपये है। इस योजना के लिए पहचाने गए राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड हैं।

आंध्र प्रदेश सहित एनडीएमएफ के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

एनडीएमएफ. के गठन और प्रशासन के लिए दिशा-निर्देशों में सेंडाइ फ्रेमवर्क संकेतकों को प्राप्त करने के आधार पर एक फ्रेमवर्क तंत्र का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें मृत्यु दर को कम करना, सामुदायिक पुनरुद्धार और लचीलेपन को समर्थन देना तथा आपदा सहायता में सुधार करना शामिल है।

(ङ) भारत आपदा प्रबंधन पर वैश्विक पहलों में सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनडीआरआर) के साथ मिलकर काम करता है और सहभागिता वाले देशों में से एक है । भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) का एक हस्ताक्षरकर्ता है और प्रणालीगत एवं संस्थागत प्रयासों के माध्यम से प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

तदनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) के अंतर्गत, सेंडाई फ्रेमवर्क की प्राथमिकताओं को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के नियोजित ढाँचे के तहत विषयगत क्षेत्रों, नामतः आपदा जोखिम को समझना, आपदा जोखिम शासन को सुदृढ़ बनाना, डीआरआर में निवेश करना और प्रभावी मोचन के लिए आपदा तैयारियों को बढ़ाना, शामिल किया गया है।

भारत आपदाओं को कम करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

प्रधानमंत्री ने नवंबर 2016 में नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर दस सूत्री एजेंडा प्रतिपादित किया था। इस सर्व-समावेशी एजेंडा में निम्नलिखित शामिल हैं:-

लोक सभा अता. प्र. सं. 4937, दिनांक 01.04.2025

"आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में अधिक सामंजस्य लाना।"

भारत आपदा प्रबंधन में विचारों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के लिए कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

दिनांक 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) का शुभारंभ किया गया। CDRI राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्तपोषण तंत्रों, निजी क्षेत्र और ज्ञान संस्थानों की एक बहु-हितधारक साझेदारी है जिसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके। अब तक, 43 देशों और 7 अन्य संगठनों ने इसके चार्टर का समर्थन किया है और सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। CDRI वर्तमान में 13 छोटे द्वीप विकासशील देशों को उनके अवसंरचना प्रणालियों को आपदा रोधी बनाने में सहायता कर रहा है। इसके अलावा, CDRI बिजली और दूरसंचार जैसे विशिष्ट विकास क्षेत्रों में आपदा रोधी क्षमता को एकीकृत करने पर काम कर रहा है।

सरकार ने कई क्षेत्रीय संगठनों, जैसे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के अंतर्गत सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आपदा जोखिम प्रबंधन पर क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाया है। इन संगठनों के माध्यम से, सरकार ने संयुक्त अभ्यास आयोजित किए हैं और साथ ही आपदा प्रबंधन में अच्छे तरीकों को साझा करने में सुविधा प्रदान की है।

भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए स्विस परिसंघ, रूसी संघ, जर्मनी, जापान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, इटली, बांग्लादेश, तुर्कमेनिस्तान, मालदीव और उज्बेकिस्तान जैसे कई देशों के साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौते/समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों/एजेंसियों जैसे कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच (जीपीडीआरआर), आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एपीएमसीडीआरआर), अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव सलाहकार समूह (आईएनएसएआरएजी), सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र-अंतरिम इकाई (एसडीएमसी-आईयू), एशियाई आपदा न्यूनीकरण केंद्र (एडीआरसी), एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (एडीपीसी) आदि के साथ साझेदारी की है ।

लोक सभा अता. प्र. सं. 4937, दिनांक 01.04.2025

भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्थापित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह के विचार-विमर्श के दौरान आपदाओं पर प्रभावी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई।

सरकार आपदा प्रभावित देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता प्रदान कर रही है। 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना के तहत, भारत सरकार ने फरवरी, 2023 में बड़े पैमाने पर भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया को राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ और चिकित्सा टीमों को भेजकर तत्काल सहायता प्रदान की थी।

***

<u>लोक सभा अता. प्र. सं. 4937, दिनांक 01.04.2025</u>

अनुलग्नक

राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) से निधियों का आवंटन और रिलीज (27.03.2025 तक)

(करोड़ रुपए में)

एनडीएमएफ के तहत स्वीकृत परियोजनाएं राज्य	शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (6 राज्य) कुल स्वीकृत परिव्यय: 3075.65		राष्ट्रीय (जीएलओएफ) हिमनद झील विस्फोट बाढ़ जोखिम शमन कार्यक्रम (4 राज्य) कुल स्वीकृत परिव्यय : 150.00		राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (15 राज्य) कुल स्वीकृत परिव्यय : 1000.00		वन अग्नि प्रबंधन (19 राज्य) कुल स्वीकृत परिव्यय : 818.92		12 सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्यों को उत्प्रेरक सहायता कुल स्वीकृत परिव्यय : 2022.16		भारत में बिजली सुरक्षा पर शमन परियोजना (10 राज्य) कुल स्वीकृत परिव्यय : 186.78	
	एनडीएमएफ से स्वीकृत आवंटन	रिलीज	एनडीएमएफ से स्वीकृत आवंटन	रिलीज	एनडीएमएफ से स्वीकृत आवंटन	रिलीज	एनडीएमएफ से स्वीकृत आवंटन	रिलीज	एनडीएमएफ से स्वीकृत आवंटन	रिलीज	एनडीएमएफ से स्वीकृत आवंटन	रिलीज
आंध्र प्रदेश							18.48	-	100.00	-	**9.69**	-
अरुणाचल प्रदेश			40.50	1.83	45.00	-	14.51	-				
असम					60.00	-	29.77	-				
बिहार									100.00	-	**16.97**	-
छत्तीसगढ							70.04	-			**12.11**	
गोवा												
गुजरात	243.90	73.17					8.65	-	100.00	-		
हरियाणा												
हिमाचल प्रदेश			31.50	-	125.00	-	8.16	-				
झारखंड							24.39	-	100.00	-	**12.11**	-
कर्नाटक	238.72	71.62			65.00	-	33.56	-	100.00	-		
केरल					65.00	-	15.70	-				
मध्य प्रदेश							98.67	-	100.00	-	**16.96**	-
महाराष्ट्र	750.00	225.00			90.00	-	53.60	-	100.00	-	**12.11**	-
मणिपुर					45.00	-	27.51	-				
मेघालय					45.00	-	13.78	-			**4.85**	-
मिजोरम					45.00	-	30.59	-				
नागालैंड					45.00	-	23.19	-				
ओडिशा							63.08	-	100.00	-	**12.11**	-
पंजाब												
राजस्थान									100.00	-		
सिक्किम			36.00	8.35	45.00	-						
तमिलनाडु	500.00	114.75			45.00	-	10.53	-	100.00	-		
तेलंगाना	250.00	75.00					27.02	-	100.00	-		
त्रिपुरा					10.00	-						
उत्तर प्रदेश									100.00	-	**16.96**	-
उत्तराखंड			27.00	-	125.00	-	16.73	-				
पश्चिम बंगाल	500.00	150.00			45.00	-					**7.27**	-
कुल	2482.62	709.54	135.00	10.18	900.00	-	587.95	-	1200.00	-	**121.14**	-

***